26.11.19 वकील प्रार्थी उपस्थित बहस हेतु लम्बित मध्य बैलगाड़ी दिनांक 6.12.19 को पेश हो

6.12.19 वकील प्रार्थी / बहस हेतु अंतिम अवसर दिया जाकर पत्रावली दिनांक 12.12.19 को पेश हो

12/12/19 वकील वादी उपस्थित बहस हेतु लम्बित चल रहे बैलगाड़ी दिनांक 13/01/2020 को पेश हो

13/01/2020 पत्रावली पेश हुई आज श्रीमान उपखण्ड अधिकारी राजकार्य अवकाश से बाहर पधारे हैं। अतः पत्रावली दिनांक 26/02/2020 को पेश हो

26/2/2020 वकील वादी/प्रार्थी उपस्थित बहस सुनी गई। प्रकरण का अवलोकन किया गया। पत्रावली अनुसार ग्राम निवाजा के ख.नं. 1617/1077 रकबा 3.1833 हेक्टेयर पड़ोसी प्रार्थीगण के एकल खातेदारी की भूमि चारी आरक्षी है। अप्रार्थीगण उक्त भूमि में गोचर की दान की गई भूमि का पट्टा उपरोक्त भूमि में मांग रहे हैं जो प्रार्थीगण व निवासियों के विपरीत है। प्रकरण में पशुधन, सुविधा का लेखन एवं अहस्तांतरण भूमि के लिए प्रार्थीगण के पक्ष में है। अतः अप्रार्थीगण को पक्षों के अनुसार निर्देशित किया जाए। ला-फिलहाल वाद आदेश किया गया है कि ग्राम निवाजा के ख.नं. 1617/1077 प्रार्थीगण के खातेदारी कब्जा वाली भूमि में किसी प्रकार की दखल अंदाजी नहीं करें तथा गोचर की भूमि को प्रार्थीगण के हिस्से की भूमि में स्थानांतरित नहीं करें।

आदेश की इत्तिला प्रेषित की गई।

T.I. 6/17 उल्लंघनकर्ता ग्राम भेवकोकर

उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (नागौर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Babu Lal Jat
Date: 2021.02.26 12:38:18 IST
Reason: SelfAttested